प्रेस को सूचना (प्रेस विज्ञप्ति संख्या:23/2023)

<u>तत्काल प्रकाशन हेतु</u>

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भादुविप्रा ने 'एकीकृत लाइसेंस (यूएल) के अंतर्गत डिजिटल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता प्राधिकरण का आरंभ ' पर परामर्श पत्र पर टिप्पणियां/ प्रति टिप्पणियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि का विस्तार ।

नई दिल्ली, 09 मार्च 2023 भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने दिनांक 09.02.2023 को 'एकीकृत लाइसेंस (यूएल) के अंतर्गत डिजिटल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता प्राधिकरण का आरंभ' पर एक परामर्श पत्र जारी किया था। हितधारकों से परामर्श पत्र में उठाए गए मुद्दों पर लिखित टिप्पणियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि 09 मार्च 2023 और प्रति-टिप्पणियां के लिए 23 मार्च 2023 निर्धारित की गई थी।

2. टिप्पणियों को प्रस्तुत करने के लिए समय के विस्तार के लिए हितधारकों के अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए, लिखित टिप्पणियों और प्रति-टिप्पणियों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि क्रमशः 06 अप्रैल 2023 और 20 अप्रैल 2023 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया हैं।

3. टिप्पणियों को अधिमानतः इलेक्ट्रॉनिक रूप में advbbpa@trai.gov.in पर भेजी जा सकती हैं, जिसकी एक प्रति jtadvbbpa-1@trai.gov.in पर भेजी जा सकती है। किसी भी स्पष्टीकरण/ जानकारी के लिए, श्री संजीव कुमार शर्मा, सलाहकार (ब्रॉडबैंड और नीति विश्लेषण), भादूविप्रा से टेलीफोन नंबर +91-11-23236119 पर संपर्क किया जा सकता है।

वि. रघुनंदन

(वि. रघुनंदन)

सचिव, भादूविप्रा